

न्यायालय, राजस्व परिषद(खण्डपीठ) उत्तराखण्ड, देहरादून।

पुनर्विलोकन संख्या-

/2015-16

अन्तर्गत आदेश 47 सी0पी0सी0

गौरी शंकर मन्दिर ट्रस्ट, रायवाला जिला देहरादून द्वारा मुख्य न्यासी स्वामी ब्रहादेव, अरोवली आश्रम, ऋषिकेश, रायवाला, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

बनाम

गौरी शंकर मन्दिर ट्रस्ट द्वारा ट्रस्टी डी0आर0 तिवारी पुत्र स्व0 अर्जुन प्रसाद तिवारी, निवासी मकान नं0-98, ब्लॉक-सी, रेसकोर्स, नई बस्ती, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

उपस्थित : श्री एस0 रामास्वामी, मा0 अध्यक्ष एवं
श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

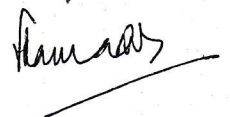
अधिवक्ता पुनर्विलाकन प्रार्थी : श्री दिनेश तिवारी।

अधिवक्ता उत्तरदाता : अनुपस्थित।

निर्णय

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा तत्कालीन सदस्य (न्यायिक) द्वारा निगरानी संख्या-93/2014-15 गौरी शंकर मन्दिर ट्रस्ट बनाम गौरी शंकर मन्दिर ट्रस्ट में पारित आदेश दिनांक 16-10-2015 के विरुद्ध प्रमुखतः इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि विपक्षी ने अपनी निगरानी में निम्न न्यायालय के किसी आदेश/निर्णय का वर्णन नहीं किया है, कि विपक्षी ने एक फर्जी कूटरचित न्यास गौरी शंकर मन्दिर ट्रस्ट निर्मित किया है तथा उसे उप निबन्धक, ऋषिकेश के कार्यालय में छल कर के पंजीकृत करवाया है जिसे निरस्त करने हेतु सिविल न्यायालय में वाद योजित किया गया है, कि जिस आक्षेपित आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई थी वह एक प्रशासनिक आदेश था जिसके विरुद्ध निगरानी पोषणीय नहीं थी, कि निगरानी योजित करने के लिए किसी भी राजस्व न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाना विधि में अनिवार्य है एवं कि विपक्षी प्रार्थी को तंग व परेशान करता रहता है इसलिए वह विभिन्न न्यायालयों में प्रार्थी के विरुद्ध असत्य आधारों पर वाद योजित करता रहता है। अतः पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार कर आदेश दिनांक 16-10-2015 को संशोधित/वापस लेते हुए निगरानी निरस्त की जाय।

हमने पुनर्विलोकन प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस एक पक्षीय रूप से सुनी एवं संगत पत्रावली का अवलोकन किया।



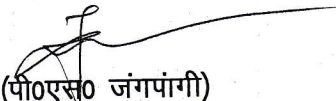
पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता का मात्र एक ही तर्क है कि इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी संख्या-93 वर्ष 2014-15 गौरी शंकर मन्दिर ट्रस्ट बनाम गौरी शंकर मन्दिर ट्रस्ट एक प्रशासनिक आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी एवं प्रशासनिक आदेश के विरुद्ध निगरानी पोषणीय नहीं थी। प्रश्नगत निगरानी में भी यह तर्क पुनर्विलोकन प्रार्थी की ओर से प्रतिउत्तरदाता के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य ने निगरानी में पारित अपने निर्णयादेश के पृष्ठ 2 के दूसरे प्रस्तर में सविस्तार विवेचन व विश्लेषण किया है एवं निगरानी को स्वीकार होने योग्य पाकर उसे स्वीकार किया है। तदनुसार वर्तमान पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में मूल निगरानी के आधारों को दोहराया गया है एवं पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में आदेश 47 नियम 1(1) सी0पी0सी0 में प्राविधानित आधारों में से कोई भी आधार विद्यमान नहीं है क्योंकि न तो कोई नयी और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का उल्लेख है जो पूर्व में प्रार्थी के ज्ञान में नहीं था एवं जिसे उसके द्वारा तत्समय पूर्ण तत्परता बरतते हुए भी प्रस्तु नहीं किया जा सका अथवा न ही किसी भूल अथवा गलती जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो या अन्य कोई पर्याप्त कारण पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत हुआ है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पुनर्विलोकन के प्रयोजनार्थ पुनर्विलोकन न्यायालय अपीलीय अथवा निगरानी न्यायालय की भांति क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है न ही त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष अथवा निर्णय पुनर्विलोकन योग्य होता है।

उक्त विवेचन व विश्लेषण के आलोक में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अस्वीकृत होने योग्य है।

आदेश।

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र दिनांक 30-11-2015 अस्वीकृत किया जाता है।
न्यायालय पत्रावली संचित की जाय।


(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक:-04.01.2018


(एस0 रामस्वामी)
अध्यक्ष।
दिनांक:-04.01.2018